

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

क्रमांक : क्यू-7/जिला एवं सत्र न्याया./2020


कटनी, दि.14.04.2020

- सार्वजनिक सूचना -

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-क्यू-6 जबलपुर, दिनांक 14.04.2020 के अनुपालन में दि.15.04.2020 से 03.05.2020 की अवधि में न्यायालय बंद रहेंगे और जिला न्यायालय कटनी/बाह्यवर्ती न्यायालय बरही/ विजयजराह वगड़/ढीमरखेड़ा में केवल Urgent/Eminently emergent प्रकृति के मामलो/अत्यावश्यक प्रकृति के मामलो जमानत/रिमांड/स्थगन(निषेधाज्ञा) की सुनवाई की जायेगी, अन्य मामलो की नहीं।

अतः ऐसी दशा में जिला एवं सत्र न्यायालय/संबंधित अपर जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 व 2 के न्यायालय (मुख्यालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकरणों में) में सुनवाई हेतु नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में (अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जमानत/ रिमांड/ निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र को छोड़कर) दि.15.04.2020 से दि.03.05.2020 तक निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती है -

नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
15.04.2020	04.05.2020
16.04.2020	05.05.2020
17.04.2020	06.05.2020
20.04.2020	08.05.2020
21.04.2020	09.05.2020
22.04.2020	11.05.2020
23.04.2020	12.05.2020
24.04.2020	13.05.2020
25.04.2020	14.05.2020
27.04.2020	15.05.2020
28.04.2020	18.05.2020
29.04.2020	19.05.2020
30.04.2020	20.05.2020
01.05.2020	21.05.2020
02.05.2020	22.05.2020


(अचल कुमार पालीवाल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)